कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / मा / अ–3 / फीस का विनियमन / 2016–17 / 2017 दिनांकः– 10/5/18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–प्रथम / द्वितीय

विषयः– राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा फीस निर्धारण के संबंध में।

प्रसंगः– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 दिनांक 01 जुलाई 2016 से लागू किया गया तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियनन) नियम, 2017 दिनांक 14 फरवरी 2017 से लागू किये गये हैं।

निजी विद्यालयों द्वारा फीस निर्धारण के क्रम में उक्त अधिनियम से संबंधित मामले माननीय न्यायालय में लम्बित है। ऐसे ही प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 09.05.2018 को अन्तरिम आदेश पारित कर फीस अधिनियम संबंधित मामलों के न्यायालय में लम्बित रहने तक फीस विनियमन के क्रम में निजी विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्देश प्रदान किया है। **अतः पारित आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें एवं आगामी आदेशों तक निजी विद्यालयों के विरूद्ध फीस निर्धारण एवं एक्ट की पालना के क्रम में कार्यवाही अमल में नहीं लावें।**

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

समस्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि राजस्थान विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2017 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 09.05.18 को अन्तरिम आदेश पारित कर निर्देशित किया है कि ऐसे प्रकरणों के माननीय न्यायालय में लम्बित रहने तक उक्त अधिनियिम की पालना के क्रम में **निजी विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही आगामी आदेशों तक नहीं करें। माननीय न्यायालय के आदेशों की अक्षरशः पालना अपने अधीनस्थ कार्यालयों से दूरभाष पर आज ही वार्ता कर सुनिश्चित करावें।**

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

HON'BLE MR. JUSTICE GOPAL KRISHAN VYAS

HON'BLE MR. JUSTICE RAMCHANDRA SINGH JHALA

Order

09/05/2018

Learned Additional Advocate is directed to inform the Secretary (Education), Government of Rajasthan that he shall instruct all the District Education Officers of the State not to take any coercive action against the private institutions in pursuance of the provisions of the Act which is under challenge in number of writ petitions filed before the Court in which interim orders have been passed not to take coercive action against private institutions.

List on 18.05.2018 as prayed jointly along with other connected matters.

(RAMCHANDRA SINGH JHALA) J. (GOPAL KRISHAN VYAS) J.

mamta/33-38